जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

चूरू

Rashtradoot

फोनः- 256906, 256907, फैक्सः- 01562-256908 वर्षः 17 संख्याः 03 प्रभात चूरू, गुरुवार 1 मई, 2025 पो. रजि. न. चूरू/084/2019-21 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

मंगलवार को संघ प्रमुख मोहन भागवत प्र.मंत्री मोदी से मिले थे

इस मीटिंग का ही नतीजा माना जा रहा है, ''जातिगत जनगणना'' (कास्ट सैंसस) पर सरकार का निर्णय

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 30 अप्रैल। एलओसी के उस पार बम गिराने के बजाय, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जातिगत जनगणना की घोषणा करके एक दूसरा विस्फोट कर दिया है। राहुल गांधी बार-बार इसकी माँग कर रहे थे तता अपने इस एजेंडा पर बड़े परिश्रम, निष्ठा एवं नियमितता के साथ जोर देते आ रहे थे।

संसद में बोलते हुये, राहुल गांधी ने कहा था कि जातिगत जनगणना की घोषणा करने के लिये नरेन्द्र मोदी की सरकार को बाध्य करेंगे।

यह स्पष्ट नहीं है कि मोदी एंड कम्पनी का यह हृदय -परिवर्तन क्यों और कैसे हुआ, क्योंकि भाजपा और सरकार जातिगत जनगणना का निरंतर विरोध करती आ रही थी, क्योंकि इससे हिन्दू -मुस्लिमों को बाँटने वाला उनका एजेंडा कमजोर होता है।

कल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भेंट की थी, तथा जातिगत जनगणना के इस निर्णय को इन दोनों की कल की मीटिंग के नतीजे के रुप में देखा जा रहा है।

- जैसा कि विदित ही है, गत वर्ष, केरल में हुई आरएसएस कार्यकारिणी की बैठक में, अधिकृत रूप से निर्णय लिया गया था कि संघ, ''जातिगत जनगणना'' के पक्ष में रहेगा।
- राहुल गांधी ने जाति ''जनगणना'' के पक्ष में सरकार का मन बदलवाने का श्रेय न लेकर कहा कि ''जातिगत जनगणना'' की प्रक्रिया का मॉडल तेलंगाना का मॉडल हो, न कि ''जातिगत जनगणना'' का बिहार मॉडल, जिससे सही सवाल, सही तरीके से पूछे जायेंगे तथा जातिगत गणना का पूरा लाभ मिलेगा जनता को।
- राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आरक्षण की पचास प्रतिशत की सीमा भी हटायी जाए ताकि ओबीसी, दलित, आदिवासी आदि की प्रगति बाधित न हो।
- राहुल गांधी ने कहा, प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में भी 15 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान अनिवार्य रूप से लागू हो। हालांकि, इसे संवैधानिक अधिकार माना गया है, पर, उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ है।
- राहुल गांधी ने यह भी कहा कि उन्हें इस बारे में कोई रुचि नहीं है कि जातिगत जनगणना का निर्णय अचानक क्यों लिया गया है, पर, केवल यह खुशी है कि यह निर्णय लिया गया है।

पिछले वर्ष केरल में हुई कार्यकारिणी की तीन दिन की मीटिंग के बाद, आरएसएस ने यह 'ऑन रिकॉर्ड' कहा था कि वह जातिगत जनगणना के पक्ष में है।

जो भी हो, इस निर्णय का समय अपने आप में बड़ा रुचिकर है। यह एक ऐसा समय है, जब पूरा देश सरकार से यह अपेक्षा कर रहा है कि सरकार पहलगाम में हुई निर्दोष नागरिकों की हत्या की प्रतिक्रिया में पाकिस्तान के खिलाफ कोई कड़ी कार्यवाही करेगी।

राहुल गांधी ने बिल्कुल साफ शब्दों में प्रधानमंत्री से कहा है कि वे पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करें, बिल्कुल भी हिचकिचायें नहीं। राहुल ने कहा कि जिन लोगों ने यह जघन्य अपराध किया है, उन्हें इसका भरपूर जवाब देना ही होगा, क्योंकि भारतवासी इसे बर्दाश्त नही करेंगे।

राहुल गांधी ने कहा कि पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है तथा नरेन्द्र मोदी को अपना पूरा समर्थन दे रहा है, इसलिये मोदी और उनकी सरकार को निर्णायक कार्यवाही करनी ही चाहिये।

पहलगाम हमले के एक सप्ताह बाद, राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी को बड़े प्रभावी तरीके से घेरते हुये, उनसे कार्यवाही, बल्कि ऐसी कार्यवाही करने के लिये कहा है जिससे अपराधियों और इस अपराध के षयंत्रकर्ताओं को ऐसा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दुष्कर्म पीड़िता को गर्भपात कराने की मंजूरी

जयपुर, 30 अप्रैल। राजस्थान ने अविवाहित दुष्कर्म पीड़िता के 20 सप्ताह के भ्रूण का गर्भपात करवाने की मंजूरी दी है। अदालत ने एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक को निर्देश दिया है कि वे तीन दिन में महिला चिकित्सालय या जनाना अस्पताल में पीड़िता का गर्भपात जरूरी मापदंडों की पालना करवाते हुए सुरक्षित तौर पर कराएं। वहीं, भ्रूण को भविष्य में डीएनए जांच के लिए सुरक्षित रखा जाए। जस्टिस शुभा मेहता ने यह आदेश पीड़िता की मां की याचिका को मंजूर करते हुए दिए।

- अदालत ने एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक को तीन दिन में महिला चिकित्सालय या जनाना अस्पताल में सुरक्षित तौर पर गर्भपात करवाने के निर्देश दिये।

याचिका में अधिवक्ता नगमा बानो ने बताया कि आरोपी ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इससे पीड़िता गर्भवती हो गई। आरोपी ने पीड़िता से शादी करने से मना कर दिया। इस पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया गया। याचिका में कहा गया कि उसकी बेटी वयस्क है और वह दुष्कर्म के कारण गर्भवती हुई है, जिससे उसे मानसिक व शारीरिक आघात लगा है। वह गर्भ को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अमेरिका की जीडीपी 0.3 प्रतिशत घटी, जबकि, 1 प्रतिशत बढ़ने की आशा थी

ट्रम्प ने इकोनॉमिक गतिविधि में इस कमी को पुराने राष्ट्रपति बाइडन की गलत नीतियों का परिणाम बता कर पीछा छुड़ाया

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 30 अप्रैल। ट्रंप का टैरिफ वॉर उब उलटा पड़ रहा है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 2020 के बाद पहली बार गतिविधि घटी है। जानकार पर्यवेक्षकों और अर्थशास्त्रियों का कहना है कि यह वर्तमान प्रशासन द्वारा लगाए गए व्यापक टैरिफ और उससे पैदा हुई अनिश्चितता का असर है।

तथापि, राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई गिरावट का उनके टैरिफ कार्यक्रमों से कोई लेना -देना नहीं है। यह केवल ''बाइडन प्रभाव'' से मुक्त होने की प्रक्रिया है।

नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिकी अर्थव्यवस्था में (-) 0.3 प्रतिशत की गिरावट आई है, जबकि अधिकांश अर्थशास्त्रियों ने लगभग 1 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया था। यद्यपि यह गिरावट बहुत बड़ी नहीं है, फिर भी यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है और मंदी के संकेत दे रही है।

- पर, सच यह है कि जीडीपी की गिरावट से ट्रम्प प्रशासन स्तब्ध है तथा राष्ट्रपति ट्रम्प ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। अमेरिका की जीडीपी घटने के इस घटनाक्रम पर मंथन करने के लिए।
- डॉओ जोन्स इन्डैक्स, जो अमेरिका की आर्थिक स्थिति को परिलक्षित करता है, में 1 % की गिरावट आई है।
- एसएण्डपी इन्डैक्स के अनुसार, भी गिरावट 1.5% है।
- नैसडैक, जो अधिकतर टैक्नोलॉजीकल कम्पनियों की स्थिति दर्शाता है, में 2.2 की गिरावट आई है।
- इसलिए, अब राष्ट्रपति ट्रम्प को समझाना पड़ रहा है कि यह गिरावट टैरिफ में छेड़छाड़ से नहीं, बल्कि पूर्व राष्ट्रपति बाइडन की गलत नीतियों के कारण हुई है।

अर्थव्यवस्था में यह गिरावट बहुत छोटी है, लेकिन इसकी प्रारंभिक रिपोर्टों से प्रशासन में घबराहट फैल गई है। डॉनल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी है और इसके लिए पिछले प्रशासन की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है।

ट्रंप ने कहा है कि जी.डी.पी. में आई गिरावट बाइडन प्रशासन की नीतिगत खामियों का परिणाम है और जी.डी.पी. फिर से बढ़ना शुरु होगी। उन्होने अमेरिकियों से धैर्य रखने और अच्छे दिनों की प्रतीक्षा करने की अपील की है।

ट्रंप ने विश्वास व्यक्त किया है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था में ''बूम''

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कांग्रेस ''डैमेज कंट्रोल'' की मुद्रा में आई ट्वीट्स के मसले पर

महासचिव वेणुगोपाल ने चेतावनी दी, पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं को, पार्टी के अधिकृत वक्तव्य तक ही सीमित रखें, अपनी प्रतिक्रिया को

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 30 अप्रैल। कांग्रेस के अधिकृत हैंडल से 'एक्स' पर डाली गईं कुछ पार्टी नेताओं की टिप्पणियों तथा सोशल मीडिया पोस्टों की जब भाजपा तथा कुछ विपक्षी नेताओं द्वारा कड़ी आलोचना की गई तो कांग्रेस बुधवार को डैमेज कन्ट्रोल में जुट गई।

पार्टी ने अपने नेताओं तथा सोशल मीडिया विभागों से कह दिया है कि वे सार्वजनिक बयानों और पोस्टों में अनुशासनपूर्ण रहें'' तथा स्वयं को पहलगाम आतंकी हमले के बाद पारित प्रस्ताव में ''सी डब्ल्यू सी द्वारा घोषित अधिकृत रुख तक ही सीमित रखें।''

- वेणुगोपाल ने यह चेतावनी दी है कि अगर पार्टी के नेताओं ने इस नीति निर्देश का उल्लंघन किया तो अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी।
- कांग्रेस के प्रवक्ता व नेताओं के पहलगाम की घटना के बाद कई विषैले कमैन्ट्स आ रहे थे, जिसके कारण पार्टी को सोशल मीडिया आदि पर काफी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।

कुछ कांग्रेस नेताओं ने पार्टी द्वारा जारी मुँह बंद रखने के आदेश, जिसमें मीडिया में बयान जारी करने से बचने को कहा गया है, पर ध्यान देने से इनकार कर दिया है।

कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल द्वारा मंगलवार रात को जारी किये गये सर्कुलर में कहा गया है, ''पार्टी की ओर से बोलने के लिये अधिकृत किये गये लोग सी डब्ल्यू सी द्वारा घोषित स्थिति तक सीमित रहें। इस निर्देश का किसी प्रकार का उल्लंघन निरपवाद रुप से कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही आमंत्रित करेगा।'' वेणुगोपाल ने पार्टी नेताओं से कहा कि वे सी डब्ल्यू सी के निर्णय का पूरी तरह पालन करें, अन्यथा इसे पार्टी अनुशासन का गंभीर उल्लंघन माना जायेगा।

अल्ट्रा साउण्ड ट्रेनिंग कोर्स में बाहर के एमबीबीएस से भेदभाव नहीं करें

जयपुर, 30 अप्रैल। राजस्थान हाईकोर्ट ने पीसीपीएनडीटी के तहत छह महीने के अल्ट्रासाउंड ट्रेनिंग कोर्स में प्रवेश के लिए प्रदेश के बाहर से एमबीबीएस करने वाले चिकित्सकों के साथ भेदभाव करने से जुड़े मामले में याचिकाकर्ता को पहले राउंड की काउंसलिंग में अंतरिम तौर पर शामिल करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश डॉ. सुप्रिया गुप्ता की याचिका पर दिए।

- हाई कोर्ट ने डॉ. सुप्रिया गुप्ता की याचिका पर काउंसलिंग में उन्हें अंतरिम तौर पर शामिल करने के निर्देश दिये।

याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि पीसीपीएनडीटी के तहत छह महीने के अल्ट्रासाउंड ट्रेनिंग कोर्स के लिए 22 अप्रैल को नीट पीजी काउंसलिंग बोर्ड ने विज्ञापन जारी कर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पहलगाम की घटना ने पर्यटकों का बहाव उत्तराखंड व हिमाचल की ओर किया

दोनों राज्य अब ''शांतिपूर्ण गर्मी की छुट्टियाँ'' (पीसफुल समर गैटवे'' तथा ''सेफ फैमिली हिल हॉलिडे' के मंत्र के साथ विज्ञापित कर रहे हैं

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 30 अप्रैल। पहलगाम में 24 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद पर्यटन पर निर्भर पर्वतीय राज्यों, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट इन्क्वायरी और बुकिंग्स में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। घाटी में बढ़ते काउंटर-टैरर ऑपरेशंस और सरकारी एडवाइज़री के बीच, कश्मीर का ग्रीष्मकालीन पर्यटन सीज़न, विशेष रूप से पहलगाम और गुलमर्ग क्षेत्र में, प्रारंभिक स्तर पर ही प्रभावित होता दिख रहा है।

इसके विपरीत, मसूरी, नैनीताल, ऋषिकेश, मनाली और धर्मशाला के होटल मालिकों और टूर ऑपरेटरों का कहना है कि लास्ट मिनट बुकिंग्स में 15 से 20 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। विशेषकर घरेलू पर्यटकों की तरफ से, जिन्होंने पहले कश्मीर यात्रा की योजना बनाई थी।

- अप्रेल 2024 में कश्मीर के टूरिस्ट डैस्टिनेशन, जैसे, गुलमर्ग, पहलगाम व श्रीनगर 85 प्रतिशत ऑक्युपैंसी बता रहे थे, पर, 24 अप्रेल की घटना के बाद ऑक्युपैंसी में बीस प्रतिशत की कमी आ गई है।
- दूसरी ओर उत्तराखंड के लोकप्रिय हिल स्टेशन, जैसे, मसूरी, नैनिताल, ऋषिकेश की बुकिंग में अच्छा उछाल आया है तथा 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। गत वर्ष की तुलना में, विशेषकर पारिवारिक व सीनियर सिटीज़न्स की बुकिंग्स में।

भीमताल के पास होमस्टे चलाने वाले अरविंद नेगी ने कहा, ''पिछले दो दिनों में हमें दिल्ली और गुजरात से दर्जनों परिवारों के फोन आए हैं जो अपनी कश्मीर यात्रा की जगह अब उत्तराखंड में हॉलिडे बुक करना चाहते हैं। लोग घाटी की स्थिति को लेकर चिंतित हैं और उत्तराखंड उन्हें ज्यादा सुरक्षित लग रहा है।''

हिमाचल के टूर ऑपरेटर भी इसी प्रवृत्ति की पुष्टि कर रहे हैं। मनाली में ट्रैवल एजेंसी चलाने वाले अशोक ठाकुर ने कहा, ''हाल के वर्षों में कश्मीर को अधिक आक्रामक रूप से प्रचारित किया गया है, लेकिन ऐसे घटनाक्रम पर्यटकों का आत्मविश्वास हिला देते हैं। हर बार जब अशांति होती है, हिमाचल और उत्तराखंड को फायदा होता है।''

उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम गोपनीय रखने की शर्त पर इस पैटर्न की पुष्टि की और कहा, हम बुजुर्गों और परिवारों के वर्ग में थोड़ी बढ़ोतरी देख रहे हैं। हमारी एडवाइज़री में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन हमारी टीमें मई जून में बढ़ने वाली भीड़ की देखरेख करने के लिए तैयार हैं।

पर्यटक अपनी योजनाएँ बदल रहे हैं। गुरुग्राम के एक आर्किटैक्ट नीरज सक्सेना ने बताया, हम परिवार के साथ मई-जून में कश्मीर जाने वाले थे, पर पहलगाम हमले के बाद हमने अपनी योजना बदल दी। अब हम रानीखेत और कौसानी जाएंगे। बच्चे खुश हैं पहाड़ और नदियां मिलेंगी और हमें भी राहत हैं।

अप्रैल 2024 में कश्मीर के गुलमर्ग, पहलगाम व श्रीनगर में 85 प्रतिशत ऑक्यूपैंसी रेट थी पर इस साल पहलगाम में हमले के बाद बुकिंग्स रद्द हो गई है और ऑक्यूपैंसी रेट 20 प्रतिशत घट कर 65 प्रतिशत रह गई है। असंतोष बढ़ने और ट्रैवल एडवायज़री

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन

नयी दिल्ली, 30 अप्रैल। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद सरकार ने बुधवार को एक बड़ा कदम उठाते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन कर रिसर्च एंड एनालाइसिस विंग (रॉ) के पूर्व प्रमुख आलोक जोशी को इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया है।

पुनर्गठित राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सात सदस्यों में कई शीर्ष स्तर के सेना, नौसेना और वायु सेना के अधिकारियों के अलावा भारतीय पुलिस सेवा के शीर्ष अधिकारियों को शामिल किया गया है।

- रॉ के पूर्व चीफ आलोक जोशी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त।

बोर्ड के नए सदस्यों में एयर मार्शल पीएम सिन्हा, लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह, रियर एडमिरल मोंटी खन्ना और भारतीय पुलिस सेवा दो पूर्व अधिकारी - राजीव रंजन वर्मा तथा मनमोहन सिंह शामिल हैं। इसके अलावा, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी बी वेंकटेश वर्मा को भी सात सदस्यीय बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया है।

पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ ते तनाव और देश

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'अगली जनगणना ''जातिगत जनगणना'' होगी, केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया'

यह सूचना देते हुए, संसदीय मामलों के मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कुछ राज्यों ने ''गैर पारदर्शिता पूर्ण'' तरीके से सर्वे करा कर, समाज में भ्रांतियाँ फैलाने का काम किया है

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 30 अप्रैल। आगामी बिहार चुनावों के मद्देनज़र विपक्ष को मात देने की कोशिश में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आगामी राष्ट्रीय जनगणना जातिगत आधार पर करवाने का फैसला किया गया है।

सरकार ने बुधवार को यह बड़ी घोषणा की कि आगामी जनगणना में जाति को भी शामिल किया जाएगा और बिल्कुल पारदर्शी तरीके से यह कवायद पूरी की जाएगी। उन्होंने विपक्ष की आलोचना की और कहा कि विपक्षी दल कास्ट सर्वे को राजनैतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे है।

कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल राष्ट्र स्तरीय जातिगत जगणना की माँग करते रहे है और इसे एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाते रहे है। बिहार, तेलंगाना व कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों ने तो जातिगत सर्वे करवाए हैं।

- वैष्णव के अनुसार, ''जातिगत गणना'' केन्द्रीय सरकार के कार्य क्षेत्र का मामला है, संविधान के अनुसार, अतः केन्द्र सरकार ने विधिवत् ''कास्ट सैंसस'' करने का निर्णय लिया है, जबकि विपक्ष इसे एक राजनीतिक हथियार के रूप में ही काम लेना चाहती थी।
- विधिवत् पारदर्शी तरीके से कराई गई ''जातिगत जनगणना'' से देश का सामाजिक व आर्थिक ढांचा मजबूत होगा। जैसे, आर्थिक आधार पर दिया जा रहा आरक्षण बिना तनाव के देवी लाल के समय में स्वीकार हो गया था।
- कांग्रेस ने अपने शासनकाल में सदा ''कास्ट सैंसस'' का विरोध किया था, कई सारे मौके आए, पर, जैसे ही प्र.मंत्री मनमोहन सिंह के शासन के समय 2010 में जनगणना का समय आया, मनमोहन सिंह की सरकार ''कास्ट सैंसस'' के मसले को टाल गई।

सन् 1931 के बाद, यह पहला जातिगत सर्वे होगा, यद्यपि कुछ राज्यों ने हाल ही में ऐसे सर्वे करवाए है। कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिक्स अफेयर्स के निर्णय की घोषणा करते हुए केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जनगणना केन्द्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है, पर कुछ राज्य सरकारों के सर्वे के नाम पर और पारदर्शी तरीके से जनगणना कर समाज में संदेह पैदा किया है।

वैष्णव ने कहा कि आज़ादी के बाद हुई सभी जनगणनाओं में जाति शामिल नहीं थी, कांग्रेस सरकारों ने हमेशा जातिगत जनगणना का विरोध किया और पार्टी ने इस मसले का इस्तेमाल राजनैतिक हथियार के रूप में किया।

वैष्णव ने कहा कि इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए कि सामाजिक ढांचे में राजनीति की वजह से कोई मतभेद पैदा ना हो, केन्द्र सरकार ने जनगणना में जाति को शामिल करने का निर्णय किया है। इससे हमारे समाज का सामाजिक व आर्थिक ढांचा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हाई कोर्ट ने तलाकशुदा पुत्री को फैमिली पेंशन के आदेश दिये

जयपुर, 30 अप्रैल। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह स्कूल व्याख्याता और उसकी पत्नी की मौत के बाद, उनकी तलाकशुदा पुत्री को इस वर्ग में तत्काल फैमिली पेंशन जारी करे। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को जवाब पेश करने करने के लिए समय दिया है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश सुमन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।

- पुत्री तलाक के बाद 1979 से माता-पिता के साथ रह रही थी।

याचिका में अधिवक्ता शिवा नागर ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के पिता स्कूल व्याख्याता के तौर पर अजमेर में कार्यरत थे। इस पद पर रहने के दौरान उनका अक्टूबर,1987 में निधन हो गया। इस पर राज्य सरकार ने याचिकाकर्ता की मां को फैमिली पेंशन जारी कर दी। वहीं, जनवरी, 2017 में

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)